संख्या-1/2026//1186774/2025/46-1002(099)/1/2025

प्रेषक,

सी.इन्दुमती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत कतिपय मदों में कम पड़ रही धनराशियों का पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:160/लेखा-बजट(चीनी)/2025-26, दिनांक 13.11.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-24(चीनी) के अन्तर्गत 2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान, 01-वेतन मद में हो रही बचतों में से अनुदान संख्या-24(चीनी/बचनबद्ध) के अन्तर्गत उक्त अंकन **रू.23.50 लाख (रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र)** का पुनर्विनियोग कराये जाने के प्रस्ताव एवं तदनुसार सेक्शन में रक्षित आलेख (प्रपत्र बी.एम.-9)(भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम एवं शर्तें निम्नवत है:-

(1) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

(2) उक्त बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, कि जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिया जायेगा।

(3) बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-24(चीनी) 2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान, 01-वेतन मद में घटित बचतों को पुर्नविनियोजित करते हुये उसी अनुदान संख्या-24(चीनी), 2852-उद्योग,08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान,**15-वाहन**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुरक्षण/पेट्रोल के अंतर्गत व्यय रू.23.50 लाख (रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र) संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) में उल्लिखित मानक मद के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत कतिपय मदों में कम पड़ रही धनराशियों का पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा बी.एम-9 (भाग-1) पर आवंटित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 द्वारा finrms पर प्रस्तुत तत्संबंधी बी.एम.-9(भाग-1) प्रपत्र पर आर.ई.संख्या–बजट-1-178,दिनाँक 17.12.2025 के अंतर्गत यह शासनादेश निर्गत किया जा रहा है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>।

भवदीया,

(सी.इन्दुमती)

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in